राजस्थान उच्च न्यायालय,जयपुर पीठ

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 5343/2024

साक्षी अपूर्व पुत्री श्री संजय अपूर्व , उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी- शिव मंदिर के पास , टेम्पू स्टैंड, पुराना हाउसिंग बोर्ड, किशनगढ़ शहर, किशनगढ़ , जिला अजमेर, राजस्थान ।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर-302001 के माध्यम से

2. राजस्थान लोक सेवा आयोग, सचिव के माध्यम से, जयपुर रोड, अजमेर, राजस्थान-305001।

----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(यों) के लिए	:	श्री गौरव राठौड़ सुश्री निकिता भंडारी श्री करण औदिच्य के साथ
प्रतिवादी(ओं) के लिए	:	श्री अर्चित बोहरा, एडिशनल जी. सी. श्री प्रणव भंसाली के साथ श्री एम. एफ. बेग

(इस मामले में डी.बी.एसएडब्ल्यू/367/2024 दायर किया गया है। कृपया आगे के आदेशों के लिए इसे देखें)
(30/05/2025 को सुबह 07:59:37 बजे डाउनलोड किया गया)

श्री रजत अरोड़ा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

आदेश

प्रकाशनीय

29/04/2024

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि वर्तमान याचिका, प्रतिवादी-आरपीएससी द्वारा जारी दिनांक 21.10.2022 के विज्ञापन के अनुसरण में, खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु दायर की गई है। तदनुसार, निम्नलिखित प्रार्थनाएँ प्रस्तुत हैं, जिन्हें नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:-

> "क) यह माननीय न्यायालय परमादेश रिट या कोई अन्य उपयुक्त रिट आदेश या निर्देश जारी करने की कृपा करेगा और इसके द्वारा, प्रतिवादी को खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर याचिकाकर्ता को नियुक्ति देने का निर्देश दिया जा सकता है क्योंकि याचिकाकर्ता ने विकलांग व्यक्ति के रूप में याचिकाकर्ता की स्थिति को ध्यान में रखते हुए मेरिट सूची से अधिक अंक प्राप्त किए हैं।

(इस मामले में डी.बी.एसएडब्ल्यू/367/2024 दायर किया गया है। कृपया आगे के आदेशों के लिए इसे देखें)
(30/05/2025 को सुबह 07:59:37 बजे डाउनलोड किया गया)

(ख) माननीय न्यायालय याचिकाकर्ता की पात्रता, योग्यता और भर्ती प्रक्रिया के दौरान हुए अन्याय को ध्यान में रखते हुए, खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद के लिए चयन प्रक्रिया में एक सीट विशेष रूप से उसके लिए आरक्षित करने की कृपा करे;

ग) ऐसे अन्य और अतिरिक्त आदेश पारित करना जो उचित और न्याय के हित में तथा विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए उचित और उचित समझे जाएं ।

2. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता एक महिला उम्मीदवार है, जो ओबीसी श्रेणी से संबंधित है। याचिकाकर्ता 45% विकलांगता से ग्रस्त है। उन्होंने वर्ष 2020 में एमडीएसयू, अजमेर से रसायन विज्ञान में विज्ञान स्नातक की उपाधि प्राप्त की, जो कि 21.10.2022 के विज्ञापन के अनुसार मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय है। यह कहा गया है कि उक्त विज्ञापन राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 (संक्षेप में नियम) के तहत 'खाद्य सुरक्षा अधिकारी' के पद के लिए 200 सीटों के लिए आवेदन आमंत्रित करते हुए जारी किया गया था। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता के पास विज्ञापन में निर्दिष्ट सभी आवश्यक योग्यताएं हैं। इस संबंध में,

(इस मामले में डी.बी.एसएडब्ल्यू/367/2024 दायर किया गया है। कृपया आगे के आदेशों के लिए इसे देखें)
(30/05/2025 को सुबह 07:59:37 बजे डाउनलोड किया गया)

याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने उक्त विज्ञापन के तहत निर्दिष्ट शैक्षणिक योग्यताओं पर भरोसा रखा है, जो निम्नानुसार हैं:

> *"1(i)* किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से खाद्य प्रौद्योगिकी या डेयरी प्रौद्योगिकी या जैव प्रौद्योगिकी या तेल प्रौद्योगिकी या कृषि विज्ञान या पशु चिकित्सा विज्ञान या जैव रसायन विज्ञान या सूक्ष्म जीव विज्ञान में डिग्री या रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री या चिकित्सा में डिग्री ।
>
> या
>
> केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य समकक्ष/मान्यता प्राप्त योग्यता और
>
> *(ii)* किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या इस प्रयोजन के लिए अनुमोदित संस्था में खाद्य प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो *:*
>
> *(*नोट *:-* चयन से पूर्व प्रशिक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। यह प्रशिक्षण चयनित अभ्यर्थियों को परिवीक्षा अवधि के दौरान प्रदान किया जाएगा।*)* परन्तु किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जिसका किसी खाद्य पदार्थ के विनिर्माण, आयात या विक्रय में कोई वित्तीय हित हो, इन नियमों के अधीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त नहीं किया जाएगा।

(इस मामले में डी.बी.एसएडब्ल्यू/367/2024 दायर किया गया है। कृपया आगे के आदेशों के लिए इसे देखें)
(30/05/2025 को सुबह 07:59:37 बजे डाउनलोड किया गया)

2. देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान और राजस्थान संस्कृति का ज्ञान।"

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि याचिकाकर्ता का मामला स्पष्ट रूप से धारा 1 के विस्तारित खंड और केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य समकक्ष शैक्षणिक योग्यता के अंतर्गत आता है। केंद्र सरकार के धारा 1 के विस्तारित खंड को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया जाता है:-

> *"(i)* किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से खाद्य प्रौद्योगिकी या डेयरी प्रौद्योगिकी या जैव प्रौद्योगिकी या तेल प्रौद्योगिकी या कृषि विज्ञान या पशु चिकित्सा विज्ञान या जैव रसायन विज्ञान या सूक्ष्म जीव विज्ञान या रसायन विज्ञान में मास्टर डिग्री या चिकित्सा में डिग्री, या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य समकक्ष/मान्यता प्राप्त योग्यता; और *(ii)* किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या इस उद्देश्य के लिए अनुमोदित संस्थान में खाद्य प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो:
>
> परन्तु किसी भी व्यक्ति को, जिसका किसी खाद्य पदार्थ के विनिर्माण, आयात या विक्रय में कोई वित्तीय हित हो, इन नियमों के अधीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त नहीं किया जाएगा।

(इस मामले में डी.बी.एसएडब्ल्यू/367/2024 दायर किया गया है। कृपया आगे के आदेशों के लिए इसे देखें)
(30/05/2025 को सुबह 07:59:37 बजे डाउनलोड किया गया)

4. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने आगे कहा कि दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान, प्रतिवादियों ने याचिकाकर्ता को खंड 1 में निर्दिष्ट आवश्यक शैक्षणिक योग्यता पूरी नहीं करने के लिए मौखिक रूप से बाहर कर दिया है। विद्वान वकील ने तर्क दिया कि ऐसा करते समय, प्रतिवादियों ने प्रावधानों को दरकिनार कर दिया है और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी 16.01.2023 की अधिसूचना के अधिदेश पर विचार नहीं किया है, जिसमें 'प्रतिस्थापन' द्वारा नामित अधिकारियों और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की योग्यता को संशोधित किया गया था और केंद्र सरकार ने माना है कि खाद्य प्रौद्योगिकी या रसायन विज्ञान में स्नातक या मास्टर या डॉक्टरेट की डिग्री वांछित योग्यता के समकक्ष मानी जाएगी। उसी पर भरोसा करते हुए, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने आगे कहा कि उक्त अधिसूचना पूर्वव्यापी रूप से लागू होगी, क्योंकि इसके लिए मसौदा अधिसूचना 27.08.2020 को जारी की गई थी।

5. "प्रतिस्थापन" शब्द को विस्तृत और परिभाषित करने के लिए, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के **(2004) 8** एससीसी **1**, जिसका शीर्षक ज़िले सिंह बनाम हरियाणा राज्य एवं

(इस मामले में डी.बी.एसएडब्ल्यू/367/2024 दायर किया गया है। कृपया आगे के आदेशों के लिए इसे देखें)
(30/05/2025 को सुबह 07:59:37 बजे डाउनलोड किया गया)

अन्य है, में दिए गए कथन पर भरोसा किया है। इस निर्णय का प्रासंगिक अंश नीचे प्रस्तुत है:-

> *"24.* एक पाठ के स्थान पर दूसरे पूर्व-मौजूदा परीक्षण को प्रतिस्थापित करना विधायी प्रारूपण में प्रयुक्त ज्ञात और सुमान्य प्रथाओं में से एक है।
>
> "प्रतिस्थापन" को इससे अलग करना होगा
>
> " अधिक्रमण " या मौजूदा प्रावधानों की मात्र पुनरावृत्ति।"

6. मदन सिंह शेखावत बनाम भारत संघ एवं अन्य के रूप में **(1999) 6** एससीसी **459** में प्रतिपादित उक्ति पर भी भरोसा रखा गया है , जिसके माध्यम से याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि जब कानूनों की व्याख्या की बात आती है, तो उद्देश्य और लक्ष्य और तथ्यों और परिस्थितियों पर विधिवत विचार किया जाना चाहिए। तत्काल मामले में, कुछ शर्तों की व्याख्या के लिए, व्याख्या के लाभकारी नियम को अपनाया जाना चाहिए और प्रावधानों पर उदारता से विचार किया जाना चाहिए। इसके अलावा, 27.08.2020 के मसौदा अधिसूचना ने स्नातक की डिग्री को भी शामिल करने के लिए 'डिग्री' को परिभाषित किया है। इसलिए, संचयी रूप से, यह तर्क दिया गया कि 'प्रतिस्थापन'

(इस मामले में डी.बी.एसएडब्ल्यू/367/2024 दायर किया गया है। कृपया आगे के आदेशों के लिए इसे देखें)
(30/05/2025 को सुबह 07:59:37 बजे डाउनलोड किया गया)

शब्द को 'अधिक्रमण' से अलग किया जाना है। यह आगे तर्क दिया गया कि 'प्रतिस्थापन' का अर्थ प्रतिस्थापन है और तत्काल मामले में संपूर्ण व्याख्या को समग्र रूप से देखा जाना चाहिए

7. इसके विपरीत, प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि सेवा न्यायशास्त्र के मामले में, कट-ऑफ मानदंडों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। कट-ऑफ मानदंडों को निश्चितता के साथ लागू किया जाना चाहिए और भौतिक नियमों व शर्तों में कोई बदलाव नहीं किया जाना चाहिए, अन्यथा चयन प्रक्रिया की पूरी योजना विफल हो जाएगी। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा याचिकाकर्ता के पास अपेक्षित शैक्षणिक योग्यताएँ होने के संबंध में लगाए गए तर्कों का खंडन करते हुए , प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता निम्नलिखित कारणों से दिनांक 21.10.2022 के विज्ञापन में उल्लिखित आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर रहा है:

7.1 दिनांक 27.08.2020 की अधिसूचना केवल एक मसौदा अधिसूचना थी और आपत्ति(यों) पर विचार करने के बाद, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 91 के तहत प्रदत्त शक्तियों के तहत दिनांक 16.01.2023 की अंतिम अधिसूचना जारी की गई थी।

(इस मामले में डी.बी.एसएडब्ल्यू/367/2024 दायर किया गया है। कृपया आगे के आदेशों के लिए इसे देखें)
(30/05/2025 को सुबह 07:59:37 बजे डाउनलोड किया गया)

7.2 खंड 1(ii) के अंतर्गत उक्त अधिसूचना से यह स्पष्ट होता है कि अधिसूचना की प्रभावी तिथि, राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि होगी। उक्त वाक्यांश को निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किया जाता है:

"ये आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।"

7.3 अन्यथा भी, याचिकाकर्ता के पास रसायन विज्ञान में स्नातक की डिग्री है, जबकि आवश्यक योग्यताओं में रसायन विज्ञान में मास्टर डिग्री को मूल अनिवार्य आवश्यकता के रूप में स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है।

अनिवार्य आवश्यकता.

8. इस मोड़ पर, प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **(2007) 4** एससीसी **54,** अशोक कुमार सोनकर बनाम भारत संघ एवं अन्य , में दिए गए निर्णय का हवाला देते हुए तर्क दिया कि कानून की यह स्थापित स्थिति है कि अंतिम तिथि को आवेदन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि माना जाना चाहिए। इस मामले में, पात्रता शर्तों पर विचार करने के लिए 30.11.2022 प्रासंगिक अंतिम तिथि थी।

(इस मामले में डी.बी.एसएडब्ल्यू/367/2024 दायर किया गया है। कृपया आगे के आदेशों के लिए इसे देखें)
(30/05/2025 को सुबह 07:59:37 बजे डाउनलोड किया गया)

9. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुना और उन पर विचार किया, मामले के अभिलेखों का अवलोकन किया तथा बार में उद्धृत निर्णयों पर विचार किया।

10. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, निम्नलिखित महत्वपूर्ण टिप्पणियां विचारणीय हैं:

10.1 विषयगत विज्ञापन 21.10.2022 को जारी किया गया था, जिसके तहत उक्त तिथि तक खेल के नियम और नियुक्ति संबंधी नियम व शर्तें पर्याप्त रूप से परिभाषित की गई थीं और उत्तरदाताओं द्वारा बहुत स्पष्ट की गई थीं।

10.2 जिस प्रकार नियम व शर्तें तैयार की जाती हैं और उनसे संबंधित चयन हेतु जो बुनियादी पात्रता प्रदान की जाती है, वह पूर्णतः नियोक्ता के अधिकार क्षेत्र में आती है। भर्ती के नियम निर्धारित करने का विवेकाधिकार नियोक्ता द्वारा स्वतंत्र रूप से, अपनी इच्छा और स्वेच्छा से किया जाता है।

10.3 माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अशोक कुमार सोनकर **(सुप्रा)** मामले में दिए गए आदेश के अनुसार , कट-ऑफ तिथि को आवेदन पत्र

(इस मामले में डी.बी.एसएडब्ल्यू/367/2024 दायर किया गया है। कृपया आगे के आदेशों के लिए इसे देखें)
(30/05/2025 को सुबह 07:59:37 बजे डाउनलोड किया गया)

दाखिल करने की अंतिम तिथि माना जाना चाहिए। अतः, वर्तमान मामले के तथ्यों के अनुसार, यह तिथि 30.11.2022 होगी।

10.4 दिनांक 16.01.2023 की अधिसूचना द्वारा शैक्षिक योग्यताओं को कम करने के संबंध में याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों को स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि उक्त अधिसूचना का प्रभाव भावी प्रकृति का था। अतः, दिनांक 21.10.2022 के विज्ञापन में परिभाषित शैक्षिक योग्यताओं पर तदनुसार विचार किया जाना है।

10.5 दिनांक 16.01.2023 की उक्त अधिसूचना में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि यह आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होगी। इसलिए, इसे पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता। इस प्रकार, 30.11.2022 तक, पूर्ववर्ती शैक्षणिक योग्यताएँ लागू थीं।

11. इसलिए, पूर्वोक्त टिप्पणियों पर समग्र विचार करने के बाद, यह न्यायालय इस याचिका को खारिज करना उचित समझता है।

12. तदनुसार, यह याचिका खारिज की जाती है। यदि कोई लंबित आवेदन है, तो उसका निपटारा किया जाता है।

(समीर जैन) ,जे

पूजा / नीरू /458

(इस मामले में डी.बी.एसएडब्ल्यू/367/2024 दायर किया गया है। कृपया आगे के आदेशों के लिए इसे देखें)
(30/05/2025 को सुबह 07:59:37 बजे डाउनलोड किया गया)

अस्वीकरण: इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निश्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।

अधिवक्ता अविनाश चौधरी

(इस मामले में डी.बी.एसएडब्ल्यू/367/2024 दायर किया गया है। कृपया आगे के आदेशों के लिए इसे देखें)
(30/05/2025 को सुबह 07:59:37 बजे डाउनलोड किया गया)